UPGK010020102026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 894/2026,

आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र अमरेन्द्र सिंह,

निवासी- राम सुकई परसिया, थाना- सुरोली, जनपद- देवरिया।

हाल पता- म0नं0 504, अम्बेडकर नगर, भीकमपुर रोड, थाना कोतवादी, जनपद देवरिया।

आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **प्रतिपक्षी,**

अपराध संख्या- 32/2026,

धारा- 191(2),191(3),109(1),115(2),352,333,

351 (3) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- कोतवाली, जनपद- गोरखपुर।

19.03.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह, जो अपराध संख्या- 32/2026, धारा- 191(2),191(3),109(1),115(2),352,333,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.02.2026 को रात लगभग 11.00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली, सक्षम शुक्ला व दो-तीन अज्ञात लोग जो फारचूनर गाडी सं0- यू0पी0 53 बी0पी0 0777 से आए थे प्रार्थिनी के घर पर चढ़ गए व जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर बोलने लगे कि उज्जवल कहां है उसे बुलाओं आज उसकी हत्या कर देगें। प्रार्थिनी उक्त लोगों का हल्ला सुनकर अपने दरवाजे पर पहुंची तो आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली, सक्षम शुक्ला जो अपने हाथ में कई असलहे (बन्दूक) लेकर खड़े थे प्रार्थिनी को मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहने लगे की उज्जवल को बुलाओ नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देगें। प्रार्थिनी ने जब मना किया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिनी का मुह पकड़कर कई थप्पड़ मारते हुए प्रार्थिनी के घर में घुस गए। प्रार्थिनी वहीं मौके पर गिर गई। उपरोक्त आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली व सक्षम शुक्ला अपने हाथ में लिए बन्दूक से प्रार्थिनी को जान से मारने की नियत से कई राउण्ड फायर किए किसी तरह

प्रार्थिनी जान बचाकर अपने घर में घुस गयी। शोर सुनकर आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए। उपरोक्त लोग हवा में फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उपरोक्त आर्थक प्रताप सिंह अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो हिस्ट्रीशीटर भी है जिसपर पूर्व में कई मुकदमें दर्ज है। प्रार्थिनी उपरोक्त लोगों के इस कृत्य से काफी डरी एवं सहमी हुई है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध गोली चलाने का कोई आरोप नहीं है। कथित घटना में किसी को कोई अग्नेयाश्त्र की चोट नहीं आयी है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य था तथा वह घटना के समय घटना में प्रयुक्त गाड़ी चला रहा था। इसकी निशानदेही पर गाड़ी भी बरामद की गयी है। वादिनी के बयान अंतर्गत धारा 180 भा0 ना0 सु0 सं0 में यह साक्ष्य प्रस्तु किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने उसे लात घूसा व थप्पड से मारा पीटा। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
19 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:41:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court